International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal
www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे बीम राव अम्बेडकर की अवधारणा का अध्ययन

CANDIDATE NAME = URVASHI KUMARI
DESIGNATION = RESEARCH SCHOLAR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR
GUIDE NAME = DR. NITIN KUMAR
DESIGNATION = PROFESSOR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR RAJASTHAN

सारांश

प्रस्तावित अध्ययन अम्बेडकर की 'न्यायसंगत समाज' की अवधारणा को समझने का एक प्रयास है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा ने भारतीय और विदेशी दोनों तरह के कई विचारकों की दार्शनिक योजना में अपना स्थान पाया। लेकिन अम्बेडकर के विचारों में 'न्यायपूर्ण समाज' की अवधारणा ने एक विशेष अर्थ प्राप्त किया क्योंकि अम्बेडकर एक दलित समुदाय के प्रतिनिधि होने के नाते उस समुदाय के लोगों की दुर्दशा को समझ सकते थे। शुरू से ही, उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू समाज के जाति-पदानुक्रम के सख्त शासन के खिलाफ एक अनवरत संघर्ष किया। कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अपने जीवन के स्तर पर बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव जाति व्यवस्था की अस्वीकृति का एक उदाहरण है। इस दृष्टि से अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माण में अद्वितीय स्थान रखते हैं। जन्म से अछूत, उन्हें धर्मनिरपेक्षता, समानता और लोकतांत्रिक भावना के विचारों के प्रति प्रतिबद्ध स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार करने का काम दिया गया था। इसने अम्बेडकर की भूमिका को और अधिक आकर्षक बना दिया है और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकृति की बहुआयामी गतिविधियों ने उन्हें आधुनिक भारत में एक जगह बनाने में सक्षम बनाया है।

मुख्यशब्द:- भारतीय सामाजिक व्यवस्था, बीम राव अम्बेडकर, 'न्यायसंगत समाज', सामाजिक व्यवस्था

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ पूर्व निवासी भारत के मूल निवासी थे। यह एक जंगली और आदिम समाज था। भारतीय जनसंख्या में नस्लीय तत्वों के संबंध में विविध मानवविज्ञानियों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण विकसित किए गए थे। यहां 7 बड़े समूह हैं यानी मंगोलॉइड, इंडो-आर्यन, द्रविड़ियन, मंगोल-द्रविडिया। भूमि, लेकिन कुछ मुख्य विशेषताएं भारत के भीतर विकसित हो रही हैं और फिर भारत के बाहर जा रही हैं।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

भारतीय लोगों को सात व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारत में बाहर से आने वालों का अनुमानित क्रम इस प्रकार है।

1. नेग्रिटोस, ब्रैचिसेफलिक नेग्रोइड्स, ये सबसे पुराने लोग हैं जो अफ्रीका से भारत आए थे और अब ये अंडमान द्वीप और मलाया में जीवित हैं। उनमें से कुछ असम में नागाओं और कुछ दक्षिण भारत में जनजातियों के बीच पाए जाते हैं।

2. प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड, ये पूर्वी भूमध्य क्षेत्र {फिलिस्तीन) से आये थे।

3. प्रारंभिक भूमध्यसागरीय, लेप्टोराइन, डोलिचोसेफल्स, जो ऑस्ट्रिक भाषण के शुरुआती रूपों को लेकर आए।

4. उन्नत भूमध्यसागरीय, लेप्टोराइन डोलिचोसेफल्स, जो भारत में 'द्रविड़ियन' बन गए।

5. आर्मेनोइड्स, संभवतः वे अन्य भाषा के साथ-साथ उन्नत भूमध्यसागरीय द्रविड़ियन के साथ आए थे।

6. अल्पाइन, वे आर्य बोलियाँ बोलने वाले वैदिक आर्यों से पहले आये थे। वे गुजरात और बंगाल में जीवित हैं।

7. वैदिक-आर्यन या नॉर्डिक्स, लेफोराइन डोलिचोसेफल्स जो वैदिक आर्य (संस्कृत) लाए थे।

8. मोंगोलोइड्स, ब्रैचिसेफल्स, उन्होंने केवल उत्तरी और पूर्वी सीमाओं को छुआ, लेकिन भारत के बड़े हिस्से को नहीं।

हिंदू सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत

ऋग्वेद: ऋग्वेद प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के स्रोत के संबंध में सबसे पहला लिखित साहित्य है। ऋग्वेद का पुरुष-सूक्त पूरे समाज को आर्य और गैर-आर्यन के रूप में चार वर्गों में विभाजित करता है जिन्हें वर्ण कहा जाता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह माना जाता था और प्रचारित किया जाता था कि विश्व की समृद्धि के लिए, निर्माता (प्रजापति ब्रह्मा) ने चार वर्णों की रचना की। ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ने उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों अर्थात "ब्रॉ" से वै-उआस की रचना की।

ये चार वी अर्ना शतपथ ब्राह्मण (द्वितीय - 4 - 11) तैत्तिरीय, ब्राह्मण वर्ण (तृतीय - 12 - 9, 3), वाजसेनेय, संहिता और अथर्ववेद में पाए जाते हैं। वर्णों की चार गुना दृष्टि श्रौत में पाई जाती है- द्रव्यण का सूत्र और पुराणों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण दो बार (द्विज) पैदा होते हैं। पहला माँ से और दूसरा पवित्र करधनी से अलंकरण से। दूसरे जन्म में सावित्री माता और गुरु पिता हैं क्योंकि वे वेदों की शिक्षा देते हैं। इसलिए, यह ठीक ही देखा गया है कि पहले तीन वाम दो बार (द्विज) पैदा होते हैं जबकि शूद्र केवल एक बार पैदा होता है। इनमें एक बड़ा अंतर है कि पहले तीन को विजेता आर्य कहा जाता है और अंतिम को जीतने वाला शूद्र या दस्यु कहा जाता है। कहा

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

जाता है कि आर्यों का रंग गोरा और शूद्र या दस्यु का रंग गहरा होता है। यजुर्वेद और ब्राह्मणों में भारतीय समाज का समान चार गुना विभाजन पाया जाता है।

ऋग्वेद में विशेष रूप से भारतीय हिंदू सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। यह पूर्णतः आर्य अवधारणा थी। जो व्यक्ति पवित्र प्रेम का ज्ञान रखते थे, धार्मिक समारोहों में भाग लेते थे और उपहार प्राप्त करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, जो लोग युद्ध करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, व्यापारियों को वैश्य कहा जाता था और जो लोग नौकरियाँ करते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था।

ब्राह्मण काल: ब्राह्मणों के काल में, ऋग्वैदिक विभाजन को आर्य और गैर-आर्यन (दास) में बदलकर दैव्य और असूर्य (राक्षसों) ने ले लिया। ब्राह्मण समाज का सर्वोच्च लेखक था और वे दैवीय वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शूद्र सामाजिक व्यवस्था में निम्न हैं। ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय और वैश्य की तुलना में उच्च, महान थे। शूद्र सभी ऊपरी तीन वर्गों के सेवक थे।

उपनिषद की अवधि: उपनिषद कर्म सिद्धांत के एक अनिवार्य भाग के रूप में वर्णाश्रम व्यवस्था को कायम रखते हैं। कार्य करने की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया। उपनिषद संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने में असमर्थ है। उपनिषद वैदिक अनुष्ठान और वर्णों की रूढ़िवादी हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में विफल रहे। यद्यपि आत्मा और ब्रह्म (आत्मा और ईश्वर) की उपनिषदीय अवधारणा ने आध्यात्मिक रूप से मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभाव को नष्ट कर दिया, लेकिन उपनिषद प्राचीन भारतीय हिंदू समाज की समानता को नष्ट नहीं कर सका।

कल्प-सूत्र: कल्प-सूत्र में पहले तीन वर्णों (ब्राह्मण, खत्रिय, वैश्य) को उपनयन करने की अनुमति दी गई थी। वस्तुतः 'कल्प' का अर्थ अनुष्ठान है। कल्प-सूत्र में श्रौति-सूत्र शामिल हैं जो श्रौत्यजन नामक यज्ञों से संबंधित हैं। . गृह सूत्र विवाह और उपनयन जैसे घरेलू समारोहों का संचालन करते हैं और धर्म सूत्र समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कर्तव्यों से निपटते हैं। तीन वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रभुत्वशाली वर्ग बन गए और उन्हें द्विज कहा जाने लगा और उन्हें उपनिषद सुनने, वेदों का अध्ययन करने की अनुमति दी गई और उन्हें समाज में सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। कल्प-सूत्र में कुछ शूद्रों को छोटे घरेलू यज्ञ और श्राद्ध करने की अनुमति दी गई थी। कल्प-सूत्र में शूद्र लड़की को मंत्रोच्चार के बिना द्विज से विवाह करने की अनुमति दी गई थी। शूद्र केवल धार्मिक और अनुष्ठानिक उत्सवों को देखने की अनुमति दे रहे थे। नाटकशास्त्र शूद्रों का घोर विरोधी था।

महाकाव्य युग: रामायण और महाभारत ने ब्राह्मणवाद और दैवीय आदेश की सर्वोच्चता

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

को स्वीकार किया। दोनों महाकाव्यों का मानना था कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति स्वयं देवताओं द्वारा की गई थी। महाकाव्यों से क्षत्रियों की उच्च स्थिति का पता चलता है। दोनों महाकाव्यों ने घोषणा की कि समाज में वर्ण व्यवस्था कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों के आधार पर उत्पन्न हुई और यह प्रकृति में विरासत में मिली है। देवताओं की सेवा और भक्ति करके वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित किया गया है। महाभारत भी दैवीय सामाजिक व्यवस्था, कर्म और स्थानांतरण के अधिकार को स्वीकार करता है। महाभारत का मानना है कि मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उच्च और निम्न वर्ण में पैदा होता है। दोनों महाकाव्यों ने शूद्रों को उपनयन के अधिकार से भी वंचित कर दिया। जिन शूद्रों के साथ असुर, राक्षस, राक्षस जैसा व्यवहार किया जाता था, उन पर पिछले जन्म के कर्मों के कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व न्यायसंगत है।

श्रीमद्भगवद्गीता: श्रीमद्भगवद्गीता वर्ण के 'त्रिगुण' सिद्धांत को मान्यता देती है। ये तीन गुण हैं सत्व (प्रकाश या बोधगम्यता), रजस (गतिविधि) और तमसा (अंधेरा, आवरण)। सत्त्व गुण रजस और तमस पर हावी है। सत्त्वगुण गुणों को ब्राह्मण में वर्गीकृत किया गया है। उनमें सदाचार, सत्य, ज्ञान, अच्छाई और उच्च विचारशीलता के गुण हैं। जिनमें राजसिक गुण होते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उनमें सक्रियता के गुण हैं और वे देश की रक्षा के लिए सैनिक के रूप में शामिल होंगे। सत्त्व और रजस के संयोजन से संबंधित लोगों के स्वार्थ और अभिविन्यास को अधिकतम करने को वैश्य कहा जाता है। 'ऐसे तामसिक गुणों से युक्त व्यक्ति शूद्र कहलाते हैं। सत्त्व काम आत्मसंयम, निष्ठा, उच्च विचारधारा, तपस्या, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और ईश्वर में विश्वास से जुड़े हैं। क्षत्रिय-कर्म वीरता, शक्ति, साहस, वीरता, कमजोरों को सुरक्षा देने की अभिव्यक्ति से जुड़े हैं। वैश्य कर्म व्यापार, कृषि माल से जुड़े हैं और शूद्र कर्म ऊपरी तीन वर्गों की सेवाओं से जुड़े हैं।

जाति विरोधी आंदोलन

रामानुज (1017-1137 ई.) एक ब्राह्मण थे और शंकर के इस सिद्धांत से असहमत थे कि ज्ञान ही मोक्ष का प्राथमिक साधन है। भक्ति आंदोलन ज्ञानदेरा, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, जनाबाई, सेना, नरहरि आदि जैसे प्रचारकों और भजनों द्वारा उभरा। अधिकांश संत गैर-ब्राह्मण थे। नामदेव पेशे से एक दर्जी थे, जनाबाई एक नौकरानी थी, सेना एक बर्बर समुदाय से थी, नरहरि एक सुनार था, तुकाराम एक किसान का बेटा था, चोखा मेला एक मोची था, गोरा एक कुम्हार था और सावंता जन्म से माली था। वे उपासक और भगवान के बीच से मुक्त हो गये। संत ऊंची जातियों और दलित वर्गों के बीच अन्याय को खत्म करना

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

चाहते थे। ज्ञानेश्वर (1275-1256 ई.) को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। एकनाथ (जन्म 1548 ई.) जातिगत भेदभाव के बहुत विरोधी थे और दलित वर्गों के प्रति उनके मन में बहुत सहानुभूति थी। एकनाथ ने रूढ़िवादी जाति के हिंदुओं का विरोध किया। रामानन्द इलाहाबाद के कान्यकुब्ज थे। वे रामानुज से अत्यधिक प्रभावित थे। रामानंद ने जाति और पंथ के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कहा जाता है कि कबीर (1440-1518 ई.) एक ब्राह्मण विधवा के नाजायज बेटे थे और उनका पालन-पोषण मुस्लिम बुनकर पालक माता-पिता ने किया था। रैदास वाराणसी के एक मोची थे। श्री चैतन्य (1485-1533 ई.) एक ब्राह्मण थे और उन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। उनके अनुसार, राज्य का निर्माण सच्चे प्रेम, सहानुभूति, भक्ति, नृत्य आदि के आधार पर किया जाएगा। गुरु नानक (ए.डी., 1469-1539) सिख धर्म के संस्थापक थे। वह जाति से खत्री थे और पंजाब के मूल निवासी थे। वे जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे कबीर के प्रबल समर्थक थे। गुरु गोबिंद सिंह (ए.डी. 1666-1708) ने भाईचारे पर आधारित खालसा (शुद्ध) की स्थापना की। गुजरात से लेकर बंगाल तक भारत के विभिन्न हिस्सों में नारनदेव, जयदेव, कबीर, शेख फरीद, सूरदास, परमानंद, रविदास और शेख भीखन सहित अन्य संत थे। वे अलग-अलग जातियों के थे, लेकिन उनका इरादा सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और समतामूलक समाज को बढ़ावा देना था।

भारत में विभिन्न कालखंडों में सामाजिक व्यवस्था

वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था (4000-1000 ईसा पूर्व):

वैदिक काल में साहित्य जिसमें मुख्य रूप से वेद, ब्राह्मण और उपनिषद शामिल हैं। वैदिक काल की शुरुआत 400 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और 1000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। ऋग्वेद के लेखन की अनुमानित तिथि 1500 ईसा पूर्व और 322 ईसा पूर्व के बीच है। सामाजिक व्यवस्था के संबंध में दो मत थे। पहला यह कि वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अस्तित्व में थे। शूद्रों का अस्तित्व नहीं था. इसकी रचना आर्यों ने ऋग्वेद के अंतिम चरण में की थी। दूसरा दृष्टिकोण यह था कि तीन जातियाँ अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियाँ नहीं बल्कि 'वर्ण' थीं जो वंशानुगत नहीं बल्कि लचीली थीं।

ब्राह्मण काल में सामाजिक व्यवस्था (1000-600 ईसा पूर्व)

ब्राह्मण काल के साहित्य में ब्राह्मण और पुराने उपनिषद शामिल हैं। लगभग यह अवधि 1000 ईसा पूर्व से शुरू होकर लगभग चार सौ वर्षों तक फैली हुई है। चौथी जातियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित हो गईं और शूद्रों की चौथी जातियों के सिद्धांत का इस काल में बार-बार उल्लेख

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

किया गया, अवधि (600-323 ईसा पूर्व) में रामायण और महाभारत दोनों ने चार वर्णों की ओर इशारा किया - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोनों महाकाव्यों में निचली जातियों (शूद्रों) को शिक्षा का अधिकार भी नहीं था।

सूत्र काल में सामाजिक व्यवस्था (800-300 ईसा पूर्व):

सूत्र तीन प्रकार के थे, अर्थात्; श्रौत-सूत्र गृह्य सूत्र लेकिन धर्म सूत्र। श्रौत-सूत्रों में ऊपरी तीन वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज में प्राथमिकता वाले समूह थे। शूद्र को संन्यास (त्याग) के विशेषाधिकार से वंचित कर दिया गया। राष्ट्र या राष्ट्र में केवल तीन उच्च वर्ग शामिल थे। शूद्रों को राज्य और राष्ट्र की गतिविधियों में भागीदारी से बाहर रखा गया था। गृह-सूत्रों में ऊपरी तीन वर्गों को उपनयन की अनुमति थी, लेकिन शूद्रों को इससे वंचित रखा गया था। गृह-सत्र आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों मामलों में चार प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को अलग करते हैं। धर्म सूत्र ने मिश्रित जातियों की भी अनुमति दी। इसमें न केवल अनुलोम विवाह की अनुमति दी गई, बल्कि प्रतिलोम विवाह पर भी रोक लगा दी गई। वशिष्ठ धर्म-सूत्र (XVIII) में बताया गया है कि शूद्र पुरुष और ब्राह्मण महिला की संतान चांडाल बन जाती है, जिसे पांचवें वर्ण के रूप में माना जाता था जिसे पंचमा कहा जाता है। गृहसूत्र (700-300 ईसा पूर्व) और धर्मसूत्र (600-300 ईसा पूर्व) ने पदानुक्रमित क्रम के अनुसार वर्णों (चार वर्णों) के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया।

मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था (322-184 ई.पू.):

322 ईसा पूर्व में नंद वंश के पतन के बाद। मौर्य काल का उदय हो चुका है। इस काल में दो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य (322-298 ईसा पूर्व) और अशोक (273-233 ईसा पूर्व)। कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य का ब्राह्मण मंत्री था। अपने प्रसिद्ध कार्यों 'अर्थशास्त्र' में भारत में चार वर्णों की ओर संकेत किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि राजा ब्राह्मण या उच्च जाति से होगा। शूद्रों को बलि देने की सख्त मनाही थी।

मौर्योत्तर काल में सामाजिक व्यवस्था (184 ई.पू.-606 ई.):

अंतिम मौर्य शासक की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो बाद में 184 ईसा पूर्व में स्वयं शासक बन गया। और एक नए राजवंश की स्थापना की जो सुंग राजवंश के नाम से प्रसिद्ध है जिसने 122 वर्षों (184-72 ईसा पूर्व) तक शासन किया। शुंग, कण्व (72-28 ई.पू.) और कुषाण राजाओं (25 ई.-327 ई.) के संरक्षण में ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ। मनुस्मृति की संभावित तिथि 185 ईसा पूर्व मानी जाती है। गुप्त काल (300 ई.-500 ई.) विकसित हुआ और इस काल को हिंदू धर्म का

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

स्वर्ण युग या हिंदू पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इस काल में शूद्रों को व्यापारी, कारीगर और कृषक बनने की अनुमति दी गई।

मध्यकाल में सामाजिक व्यवस्था (700-1200 ई.):

मध्यकालीन काल में (ए) राजपूत काल (700-1200 ई.) {बी) मुस्लिम काल {1200-1757 ई.) शामिल हैं।

(a) राजपूत काल (700-1200 ई.):

सातवीं शताब्दी के मध्य में हर्ष की मृत्यु के साथ प्राचीन हिंदू काल समाप्त हो गया और इतिहास का मध्यकाल शुरू हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद पूरा भारत राजपूत शासकों के अधीन बड़ी संख्या में छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में बदल गया। इस अवधि में ब्राह्मणों ने खुद को अधिक विशेषाधिकार दिए, ब्राह्मणों को क्षेत्रीय सीमाओं के साथ कनौजी ब्राह्मण, कंकोम ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण आदि के रूप में विभाजित किया गया। इसी प्रकार, क्षत्रिय और वैश्यों को व्यावसायिक जातियों के आधार पर उप-विभाजित किया गया, जैसे बुनकर, सुनार, लोहार, बढ़ई, शराब बनाने वाले, मछुआरे, चरवाहे आदि।

(बी) मुस्लिम काल (1200~1757 ई.):

मुस्लिम धर्म के पैगम्बर मोहम्मद अरब जगत में अस्तित्व में आये। अरबों की सिंध पर पहली विजय 712 ई. में हुई थी, लेकिन 1206 ई. में गुलाम वंश ने दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया। ग़ज़ानी के सुल्तान महमूद और मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में आना जारी रहा। गुलाम वंश (1206-1290 ई.) के बाद भारत पर विभिन्न मुस्लिम शासकों और राजवंशों का शासन रहा, जैसे, खिलजी वंश (1290-1320 ई.), तुगलक वंश (1320-1412 ई.), सैय्यद वंश (1414""1451 ई.), लोधी राजवंश (1451-1525 ई.) और मुगल वंश (1526- 1757 ई.) जिनमें बाबर (1526-1530 ई.), हुमायूँ (1530-1540 और 1554- 1555 ई.), अकबर (1556-1605 ई.), जहांगीर शामिल हैं। (1605-1627 ई.), शाहजहाँ (1627-1658 ई.), औरंगजेब {1658-1707 ई.) और उसके वंशज तथा बहादुरशाह (1707-1857 ई.)। इस काल में मुस्लिम जाति व्यवस्था अधिक विकसित हो गई। अधिक कठोर। मुस्लिम लोचदार हिंदू गुट में लीन नहीं थे। स्वाभाविक रूप से हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं मिल सकते थे। भक्ति पंथ रामानुज, कबीर, नानक, चैतन्य जैसे भक्त (संतों) के हाथ से उभरा है। भारत में मुस्लिम काल के दौरान तुकाराम, तुलसीदास, नामदेव आदि ने मूर्तिपूजा और अत्यधिक कर्मकांड के उन्मूलन और पुरोहित वर्ग के वर्चस्व के लिए। भारत में मुस्लिम काल के दौरान सुनार (सुनार), लुहार (लोहार), नाई (नाई), धोबी (धोबी) और खाती (बढ़ई) आदि को निम्न स्तर की जातियाँ माना जाने लगा। अल-बिमनी के अनुसार, मुस्लिम काल के दौरान भारत में कुछ दलित मौजूद थे

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

जैसे हादी, डोर्नो (डोर्नबा), चांडाल और बधातौ (सिक) आदि।

मुलिरन काल के दौरान अशरफ (अर्थ सम्माननीय) और शेख (प्रमुख) हिंदुओं की "दो बार जन्मे" उच्च जातियों के साथ तुलनीय थे और मुगल और पैथेंस हिंदू क्षत्रियों के अनुरूप थे। भारत में ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और पारसी धर्म जैसे अन्य धार्मिक अभ्यास भी थे। यहां मुस्लिम उपस्थिति स्थापित होने से पहले ही ईसाई धर्म का आगमन हो चुका था और यहूदी धर्म और पारसी धर्म का आगमन लगभग उसी समय हुआ जब इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया।

ब्रिटिश काल (1757-1947 ई.):

ब्रिटिश काल की शुरुआत 1774 से हुई जब वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कुछ अधिनियमों ने जाति व्यवस्था पर हमला किया, जैसे, 1850 का जाति विकलांगता निवारण अधिनियम, 1856 का विधवा पुनर्वास अधिनियम, 1872 का विशेष विवाह अधिनियम आदि। समाज सुधारकों के सामाजिक आंदोलनों ने भी ब्रिटिश काल के दौरान जाति व्यवस्था पर हमला किया। 1920 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित और के.सी.सेन और डी.एन.टैगोर द्वारा उठाए गए ब्रह्म समाज आंदोलन ने जाति विभाजन, मूर्ति पूजा और अन्य अंधविश्वास अनुष्ठानों की बाधाओं को खारिज कर दिया। 1849 में, महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा आंदोलन ने परमहंस सभा की शुरुआत की और बाद में यह लोकप्रिय आस्तिक संगठन में बदल गया, जिसे प्रार्थना समाज के नाम से जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से न्यायमूर्ति रानाडे का समर्थन प्राप्त था। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज दोनों में सुधार जैसे अंतर-भोजन, अंतर-जातीय विवाह और विधवाओं का पुनर्विवाह आदि। आर्य समाज और रार्नकृष्ण मिशन ने आक्रामक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का नेतृत्व किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883 ई.) ने की थी। इसने 'स्मृति' और 'पुराणों' को दृढ़ता से खारिज कर दिया, बहुदेववाद की निंदा की और "एक वेद, एक धर्म और एक ईश्वर" के दर्शन को स्वीकार किया। रामकृष्ण मिशन की अध्यक्षता स्वामी विवेकानन्द ने की। 1861-1902 ई. जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। 1857 का सिपाही विद्रोह जाति व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन था।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि (1947 से अब तक):

भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया और नवंबर, 1949 को इसे सौंप दिया और 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान अपना काम करने लगा। धर्म के आधार पर 14 अगस्त, 1947 को भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। पाकिस्तान एक 'मुस्लिम राज्य' बन

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
IJARST
ISSN: 2457-0362

गया, लेकिन सभी मुसलमान उस देश में नहीं गए। लगभग चालीस मिलियन मुसलमान अभी भी भारत में रह गये। वहाँ ईसाई, सिख, जैन, पारसी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के बड़े समूह थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी सदियों से समाज के उच्च वर्गों के हाथों पीड़ित रहे हैं। अनुच्छेद 366 (24) के अनुसार "अनुसूचित जाति का अर्थ है ऐसी जातियाँ, नस्लें या जनजातियाँ या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्से या समूह जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति होने की मांग की गई है।" अनुच्छेद 366 (25) "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या ऐसे जनजातीय या जनजाति समुदायों के कुछ हिस्से या समूह जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।" भाग -16 या हमारा संविधान एससी/एसटी, मुस्लिम, एंग्लो-इंडियन और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित विशेष प्रांत प्रदान किए गए। इस भाग में अनुच्छेद 330 से 342 तक शामिल हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी के संबंध में घोषणा करने की शक्ति है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों आदि के कुछ हिस्सों या समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्दिष्ट करें। अनुच्छेद 342 के अनुसार, राष्ट्रपति के पास जनजातियों या आदिवासी समुदायों को निर्दिष्ट करने की शक्ति है या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में उनके भीतर समूहों के कुछ हिस्से।

अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी/एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य विधान सभा में एससी/एसटी के लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। 1999 में 79वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत आरक्षण प्रणाली को 2010 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में, लोकसभा में क्रमशः 79 सीटें और 40 सीटें एससीएसआई एसटी के लिए आरक्षित हैं। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 557 सीटें और 303 सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उन्हें लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 338 एससी/एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। 2003 में 87वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 338ए जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय एससी/एसटी आयोग ने इसे जोड़ा। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

तीन अन्य सदस्य होते हैं जो एससी/एसटी के सुधार, एससी/एसटी के सामाजिक-आर्थिक विकास की जांच करते हैं और बाहरी वर्गों के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं। अनुच्छेद 335 में एससी, एसटी और ओबीसी पर विशेष ध्यान दिया गया। हमारे भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं में एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 25,26,28,30 प्रत्येक नागरिक को जाति, पंथ, नस्ल आदि के आधार पर धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 15, 16, 17, 29, 325 में राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव को भी प्रतिबंधित किया गया है।

हिंदू सामाजिक व्यवस्था पर डॉ. अम्बेडकर के विचार

डॉ. अम्बेडकर ने 1946 में प्रकाशित अपने काम "शूद्र कौन थे? वे इंडो-आर्यन समाज में चौथा वर्ण कैसे बने" में बताया कि वैदिक साहित्य के निर्माता आर्य जाति के थे। वे भारत के बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया। जो भारत के मूल निवासी थे उन्हें दास और दास कहा जाता था और वे आर्यों से नस्लीय रूप से भिन्न थे। दस्यु एक काली जाति थे और आर्य एक श्वेत जाति थे। दास और दस्यु और दास या दस्युओं पर विजय प्राप्त की गई और उन्हें गुलाम बनाया गया, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। दास और दस्यु जैसे नस्लीय रूप से काले थे।20 डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, वेदों में आर्य जाति द्वारा भारत पर किसी भी आक्रमण का कोई सबूत नहीं है और उसने दास या दास को भारत का मूल निवासी बना दिया है। यह दिखाने के लिए कोई प्रासंगिकता और सबूत नहीं था कि आर्य, दास और दस्यु तत्वों में भिन्न थे। वेद इस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं कि आर्य दास और दस्यु से रंग में भिन्न थे।

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक "हू वेयर शूद्राज़" में कहा है कि शूद्र आर्य समुदाय थे। शूद्र क्षत्रिय वर्ग के थे और प्राचीन आर्य समुदायों के कुछ शक्तिशाली राजा शूद्र थे। अत: शूद्र क्षत्रिय वर्ण के थे। 22 अपने तर्क को सुधारने के लिए उन्होंने महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 60 के श्लोक 38-40 का उल्लेख किया। शांतिपर्वन में उल्लेख है कि पैजवन शूद्र था और शूद्र पैजना यज्ञ करता था। ब्राह्मणों ने उनके लिए यज्ञ किया और उनसे दक्षिणा स्वीकार की। 23 यास्क का निरुक्त ii. इससे पता चला कि जो व्यक्ति पैजवन का पुत्र था, वह सुदास है और पैजवन का अर्थ है पिजवन का पुत्र। ऋग्वेद से. VII.l8.22, VI1.18.23, VI1.25 पैजवन सुदास का दूसरा नाम था। सुदास न तो दास था और न ही आर्य। वे एक दूसरे के दुश्मन थे. सुदास न तो दास था और न ही आर्य। दिवोदास एक राजा थे और सुदास के पिता दिवोदास थे। दिवोदास ने तुर्वसस और यदुस, शम्बरा, परवा और करुमजा और गुंगु के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सुदेवी सुदास की पत्नी

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

थीं। सुदास एक राजा थे और उनका राज्याभिषेक समारोह ब्रह्मा-ऋषि, वशिष्ठ द्वारा किया गया था। राजा सुदास क्षत्रिय से भी बढ़कर थे। वह एक पराक्रमी राजा था.

ऋग्वेद में शूद्र का अलग वर्ण के रूप में उल्लेख नहीं है। शतपथ और तैत्तिरीय शूद्रों की अलग रचना की बात नहीं करते। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेख है कि चार वर्ण थे। शूद्र सौर जाति के आर्य समुदायों में से एक थे। भारतीय आर्य समाज में तीन वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कोई अलग वर्ण नहीं थे बल्कि क्षत्रिय वी अमा का एक हिस्सा थे। शूद्र राजा और ब्राह्मणों के बीच कई लड़ाइयाँ हुईं। परिणामस्वरूप, शूद्रों को ब्राह्मण समुदायों से हार का सामना करना पड़ा .. इस तरह शूद्र सामाजिक रूप से अपमानित हो गए और वैश्य के पद से नीचे गिर गए और चौथे वर्ण से आ गए। 26 डॉ. अम्बेडकर की पुस्तक "द अनटचेबल्स: हू वेयर दे एंड व्हाई दे बी कम अनटचेबल्स" पहली बार 1948 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि हिंदू और गैर-हिंदू समाज में अछूत कहां थे और उनकी आपात स्थिति क्या थी। शूद्रों के अलावा उन्होंने तीन प्रकारों का उल्लेख किया हिंदू समाज में वर्गों के नाम, (i) आपराधिक जनजातियाँ, (ii) आदिवासी जनजातियाँ और (iii) अछूत।

निष्कर्ष

न्यायपूर्ण समाज के बारे में अम्बेडकर की अपनी अवधारणा। यह देखा गया है कि 'न्याय' शब्द के अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थ हैं - ऐतिहासिक, प्रासंगिक, दार्शनिक या सैद्धांतिक। इसीलिए, ऐसे शब्द की संकल्पना करना और उसे बहुत ही विशिष्ट तरीके से समझाना किसी भी पर्यवेक्षक के लिए एक कठिन कार्य हो जाता है। हालाँकि ऐसा शब्द अपने मूल अर्थ में समाज-विशिष्ट या संस्कृति-विशिष्ट प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में, यह अपनी सार्वभौमिक अपील और अनुप्रयोग के साथ ऐसी सभी सीमाओं को पार कर जाता है। ठीक यही स्थिति डॉ.टी.आर.एन.बेडकर के साथ भी है। ..हालाँकि यह मुद्दा भारतीय स्थिति से संबंधित है, लेकिन अंत में और अंतिम निर्माण के साथ, यह समस्या किसी भी सामाजिक भेदभाव से जूझ रहे सभी लोगों की समस्या बन जाती है। इसीलिए, डॉ. बी.आर. को रखना होगा। अम्बेडकर को सार्वभौमिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है और उन्हें केवल भारत में दलित वर्गों के नेता के रूप में वर्णित करना बहुत संकीर्ण होगा। इस पृष्ठभूमि में, न्यायपूर्ण समाज पर डॉ. अम्बेडकर के विचारों की जांच करने का प्रयास किया गया है। चूँकि उन्हें जीवन में कई पड़ावों से गुजरना पड़ा, इसलिए 'न्यायपूर्ण समाज' के विचार का अंतिम निर्माण डॉ. अम्बेडकर की संपूर्ण विचार प्रक्रिया की परिणति कहा जा सकता है।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

संदर्भ ग्रंथ सूची

अब्राहम, पी.: आर्थिक, योजना विकास के लिए अंबेडकर का योगदान: प्रासंगिकता, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2002।

अग्रवाल, सुदर्शन. : डॉ. अम्बेडकर: द मैन एंड हिज़ मैसेज, नई दिल्ली, प्रेंटिस-हॉल ऑफ इंडिया। 1991.

अहीर, डी.सी.: डॉ. अम्बेडकर की विरासत, बी.आर. प्रकाशन निगम, दिल्ली, 1990।

अहीर. डी.सी.: गांधी और अम्बेडकर: तुलनात्मक अध्ययन, भूमून बुक, नई दिल्ली, 1999।

अहलूवालिया, बी.आर., अहलूवालिया, शशि। : बी.आर. अम्बेडकर और मानवाधिकार, विवेक पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली, 1981।

अल्टेकर, ए.एस.: हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति, मोतीलाल बनारसी दास, नई दिल्ली, 1978।

बैसेंट्री, डी.के.: अंबेडकर डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1991. द टोटल रिवोल्यूशनरी, सेगमेंट बुक बेली, एल.आर.: थॉट्स ऑफ अंबेडकर, वॉल्यूम। मैं, भीम प्रतिका प्रकाशन। जालंधर, 1989.

बेहरा, दीपक कुमार: मनुष्य और जीवन में एस.सी. के ईसाइयों की सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएं: जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एंड एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, वॉल्यूम। 15, नहीं. 1 एवं 2, जनवरी-जून, 1989।

भगवानदास: इस प्रकार बोले अम्बेडकर, खंड। 1 और 2, जालंधर, भीम पत्रिका प्रकाशन, 1977।

भगवानदास: {इस प्रकार बोले अम्बेडकर, खंड 3 और 4, अम्बेडकर साहित्य प्रकाशन, बैंगलोर, 1985।

भारद्वाज, एएन: भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याएं, लाइट एंड लाइफ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1979।

भारती, के.एस.: फ़ाउंडेशन ऑफ़ अंबेडकर थॉट, दत्त एंड संस पब्लिशर्स, 1990।

बेतेइल, आंद्रे: असमानता और सामाजिक परिवर्तन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1972।

बेतेइल, आंद्रे: समकालीन भारत में पिछड़ा वर्ग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1992।

बेतेइल, आंद्रे: समानता और असमानता - सिद्धांत और व्यवहार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बॉम्बे, 1983।

भारिल्ल चंद्रा: बी.आर. के सामाजिक और राजनीतिक विचार। अम्बेडकर- उनकी जीवन सेवाओं, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का एक अध्ययन, आलेख प्रकाशक, जयपुर, 1977।

बिस्वास, ए.आर.: मनु, डॉ. अम्बेडकर और सुप्रीम कोर्ट (अप्रकाशित), 1990।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal
www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362